

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/लिंक नं.10736/531

दिनांक :- 21.6.2022

कार्यालय आदेश

श्री रविन्द्र कुमार मीणा (लिंक नं. 10736) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक), चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 08.02.2021 से 22.02.2021 तक 15 दिवस

दिनांक 23.02.2021 से 04.03.2021 तक 10 दिवस

दिनांक 15.03.2021 से 25.03.2021 तक 11 दिवस

दिनांक 02.08.2021 से 16.08.2021 तक 15 दिवस

दिनांक 24.08.2021 से 26.08.2021 तक 03 दिवस

दिनांक 31.08.2021 से 09.09.2021 तक 10 दिवस

(कुल 64 दिवस)

उक्त कुल 64 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री रविन्द्र कुमार मीणा की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

उक्त असाधारण अवकाश स्वीकृति आदेश वित्त(राजस्व) विभाग की डायरी क्रमांक 2483 दिनांक 18.05.2022 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की गई हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/लिंक नं.10736/531

दिनांक :- 21.6.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर।
2. कोषाधिकारी, अलवर।
3. श्री रविन्द्र कुमार मीणा (लिंक नं. 10736) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक एसीपी को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)